

राजस्थान सरकार  
राजस्व ॥ ग्रुप-6 ॥ विभाग

क्रमांक:- ५०६॥७॥राज-6/95/24

जयपुर, दिनांक:- 9-7-99

-: अधिसूचना :-

राजस्थान झू-राजस्व अधिनियम, 1956 ॥ राजस्थान अधिनियम संख्या-15  
वर्ष 1956 ॥ को धारा 20 ॥ख॥ ॥ III ॥ द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते  
हुए राज्य सरकार सरकार द्वारा भारतीय प्रशासनिक सेवा के प्रशिक्षणार्थी श्री एस.ए.ए.  
देराश्री को, जिन्हें कार्गिक विभाग के आदेश क्रमांक ५०६॥७॥कार्गिक/क-1/99  
दिनांक 17.6.99 के द्वारा जयपुर जिले में सहायक कोलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट  
॥ प्रशिक्षण ॥ पद पर पदस्थापित किया है, दो सहायक कोलेक्टर एवं कार्यपालक  
मजिस्ट्रेट उनके क्षेत्राधिकार के भीतर नियुक्त करती है।

राज्यपाल की आज्ञा से,

॥ शिव कुमार शर्मा ॥  
शासन उप सचिव

सूचिका:-

1. निजी सचिव/मा०राजस्व मंत्री महो०/मुख्य सचिव/ प्रमुख शासन सचिव, राजस्व।
2. सहायक आसुप्त, जयपुर।
3. जिला कोलेक्टर, जयपुर।
4. निबन्धक, राजस्व मण्डल, अजमेर।
5. निदेशक, जनसम्पर्क निदेशालय, जयपुर।
6. निदेशक, राज्य केन्द्रीय प्रशासनिक जयपुर को राजस्थान राजपत्र के असाधारण  
अंक दिनांक 9-7-99 में प्रकाशनार्थ।
7. "राजपत्र" राजस्व मण्डल, अजमेर।
8. विधि संहिताकरण विभाग।
9. उपनिबन्धक ॥ विप्लव एवं सेवा ॥ राजस्व मण्डल, अजमेर।
10. सहायक सहायक कोलेक्टर,
11. सहायक पत्रावली।

शासन उप सचिव

संज्ञा/7799